न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजि0न0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/66/2016	2016/00150	04.10.2016	23.12.2025

1.प्रभूदयाल पुत्र रामजीवन, जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम मुरलीपुरा, तहसील राजगढ, जिला अलवर राजस्थान।

——अपीलांट

बनाम

1.तहसीलदार राजगढ, जिला अलवर (राज०)।

—— रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार राजगढ दिनांक 26.08.2016 प्रकरण संख्या 22/2015

उपस्थितः—
01.श्री गिर्राज प्रसाद गुप्ता —वकील अपीलाण्ट
02.राजकीय अभिभाषक —वकील रेस्पोडेन्ट

—:: निर्णय ::—

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार राजगढ के निर्णय दिनांक 26.08.2015 प्रकरण संख्या 22/2015 जिसके द्वारा अपीलाण्ट को अतिक्रमी घोषित कर अतिक्रमित रकबे से बेदखल कर लगान स्वरूप शास्ति राशि आरोपित की गयी, से व्यथित होकर पेश की है। अपील में वर्णित तथ्य संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि आलोच्य निर्णय दिनांक 26.08.2016 का है जिसकी नकल के लिए दिनांक 07.09.2016 को आवेदन किया था जो नकल दिनांक 09.09.2016 को तैयार की गई है। नकल मिलने का समय म्याद में मुजरा दिए जाने से यह अपील मागूलन अन्दर अवधि पेश है। पटवारी हलका अलई ने एक रिपोर्ट तहसीलदार राजगढ के समक्ष इस आशय की पेश की कि आराजी खसरा नंबर 145 कुल रकबा 0.18 हैक्टर गैरमुमकिन पाल में से 0.08 हैक्टर भूमि पर अतिकमी प्रभूदयाल पुत्र रामजीवन ब्राहमण निवासी मुरलीपुरा ने मकान, गैर मुमकिन चाह व पक्की दीवार बनाकर अतिक्रमण कर लिया है। कि जिस रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज किया गया और दिनांक 26.08.2016 को उक्त प्रकरण का निस्तारण करते हुए अपीलाण्ट को अतिकमी मानते हुए बेदखल करने व 12/— रूपए पेनेल्टी आरोपित करने के आदेश पारित किए गए है कि जिस निर्णय से असन्तुष्ट होने के कारण यह अपील पेश की जा रही है जोकि निम्न आधारो पर स्वीकार की जाकर निर्णय तहत अदालत अपास्त होने योग्य है। विवादित भूमि खसरा नंबर 145 के किसी भाग पर अपीलाण्ट ने कोई अतिक्रमण नहीं किया है विवादित भूमि व अपीलाण्ट की खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 132 व 133 के बीच खसरा नंबर 135 रास्ता है। खसरा नंबर 132 में अपीलाण्ट ने बाउण्ड्री की हुई है तथा खसरा नंबर 133 में अपीलाण्ट ने कार्य काश्त हेतू मकानात बना रखे है व चाह बना रखा है जिसमें विधुत विभाग से नियमानुसार कनैक्शन ले रखा है। खसरा नंबर 145 पर अपीलाण्ट का कोई अतिक्रमण या निर्माण नहीं है। सन 1999 से अपीलाण्ट खसरा नंबर 133 में स्थित चाह से सिंचाई करता आ रहा है। अपीलाण्ट के पडौस में द्वारका प्रसाद है जो कानूगो है तथा जो अपीलाण्ट से रंजिश व दुर्भावना रखता है इसलिए उसने अपीलाण्ट को बेजा परेशान करने के लिए पटवारी हलका से मिलकर अपीलाण्ट के खिलाफ मिथ्या रिपोर्ट बनाकर तहत अदालत के समक्ष पेश कराई है जिसकी तहत अदालत स्वयं के द्वारा मौके पर जांच नहीं की गई है और नाही पटवारी हलका एवं अन्य गवाहों के बयान लिए। ऐसी अवस्था में जो निर्णय पारित किया है वह मौके के खिलाफ व विधिक प्रक्रिया अपनाए बिना पारित किये जाने के कारण विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त होने योग्य है निरस्त फरमाया जावे। अपीलाण्ट की खातेदारी की आराजी खसरा नंबर 132 के बाद 135 व उसके बाद खसरा नंबर 145 तथा 133 के बाद खसरा नंबर 135 उसके बाद 144 खातेदारी की जमीन है। इस प्रकार अपीलाण्ट द्वारा खसरा नंबर 145 पर किसी प्रकार का अतिक्रमण या निर्माण किए जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अपीलाण्ट के खिलाफ रिपोर्ट पेश होने व प्रकरण दर्ज होने के बाद पटवारी हलका से अपीलाण्ट की खातेदारी की आराजी की पैमायश कराई गई थी जिसमें अपीलाण्ट की आराजी खसरा नंबर 132 व 133 का रकबा कमशः लगभग 0.16 व 0.17 हैक्टर पाया गया था अर्थात कमशः 0.07— 0.07 हेक्टर रकबा कम पाया गया है तथा खसरा नंबर 145 जिसका रकबा 0.18 हैक्टर है, का रकबा 0.37 हैक्टर पाया गया है इस प्रकार खसरा नंबर

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

145 का रकबा 0.19 हैक्टर अधिक पाया गया है जिससे भी खसरा नंबर 145 पर किसी प्रकार का अतिक्रमण करना नहीं पाया जाता है। लेकिन अदालत मातहत ने गौर नहीं किया।

अपीलाण्ट द्वारा विस्तृत जवाब व तमाम दस्तावेज तहत अदालत में पेश किए थे लेकिन तहत अदालत ने उन पर उचित व पर्याप्तगौर नहीं किया। अपीलाण्ट द्वारा माननीय जिला कलक्टर अलवर के आदेश से खसरा नंबर 126, 127, 132 व 133 की पैमायश विशेष कमेटी गठित करके दिनांक 26.09.2001 को जांच कराई थी उसमें भी अपीलाण्ट का 13 ऐयर रकबा कम पाया गया इस प्रकार अपीलाण्ट द्वारा आराजी खसरा नंबर 145 पर कोई अतिक्रमण नही किया गया है। अपितू खसरा नंबर 145 में अपीलाण्ट की आराजी शामिल करदी गई है। पूर्व में भी तहसीलदार राजगढ ने दिनांक 30.03.2002 व 31.08.2001 को अपीलाण्ट के खिलाफ खसरा नंबर 145 के संबंध में निर्णय पारित किए गए थे जिसकी अपील अपीलांण्ट ने अतिरिक्त कलक्टर प्रथम अलवर के यहां दायर की जो दिनांक 06.05.2002 को पूर्णतया मंजूर होकर उक्त हरदो निर्णय अपास्त किए गए थे। लेकिन उसके बावजूद भी अदालत मातहत ने अपीलाण्ट को अतिकमी मानने में भूल की है। पटवारी हलका अलई द्वारा गलत रिपोर्ट पेश करने के बाद प्रकरण दर्ज होने के पश्चात सिविल न्यायाधीश राजगढ द्वारा दीवानी वाद संख्या 11/2002 बअनुवान हीरालाल बनाम प्रभूदयाल में दिनांक 30.07.2015 को माननीय अपर जिला न्यायाधीश राजगढ में राजीनामा होने के उपरांत 09 फुट रास्ता आराजी खसरा नंबर 135 में से दिया गया है। जिसका राजस्व रिकार्ड में अंकन हो चुका है। जिसमें अपीलाण्ट के मकान व कुआं आंराजी खसरा नंबर 133 में तहसीलदार राजगढ़ द्वारा दर्ज किया हुआ है। लेकिन फिर भी तहत अदालत तहसीलदार राजगढ ने गौर नहीं किया। अन्य उज्जात वक्त बहस जुबानी अर्ज किए जावेंगे। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई, जाकर निर्णय तहत अदालत तहसीलदार राजगढ (अलवर) दिनांक 26.08.2016 बसिलसिले प्रकरण संख्या 22/2015 निरस्त फरमाये जाने की कृपा करे। अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट जरिये राजकीय अभिभाषक उपस्थित।

वकील उभयपक्ष की विस्तृत बहस सुनी गई।

पत्रावली में संलग्न समस्त दस्तावेजात का अवलोकन एवं वकील उभयपक्ष की बहस के बिन्दुओं पर चिन्तन–मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की निर्णय/पत्रावली का भी अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न पटवारी हल्का अलेई की संवत 2072 की रिपोर्ट दिनांक 04.06.2015 के अनुसार प्रभुदयाल पुत्र रामजीवन जाति ब्राह्मण द्वारा विवादित आराजी खसरा नंबर 145 रकबा 0.18 किस्म गैरमुमकिन पाल पर मकान व पक्की दीवार बनाकर अतिक्रमण किया हुआ है। जमाबंदी संवत 2064–2067 के अनुसार विवादित आराजी खसरा न0 145 रकबा 0.18 है0 पहाडी/पर्वत की भूमि है जिसकी किस्म गैरमुमकिन पाल दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को विधिवत नोटिस जारी किया गया। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर जबाव पेश किया। पत्रावली पर आए तथ्यों के विश्लेषण एवं पटवारी की रिपोर्ट दिनांक 04.06.2015 से अपीलान्ट का अतिक्रमण किया जाना सिद्ध होता है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा–91 के अनुसार सरकारी भूमि, चैरिटेबल/धार्मिक माफी भूमि, देवस्थान विभाग या मंदिर की दर्ज भूमि पर अवैध कब्जा हटाने की कार्यवाही करने का प्राथमिक अधिकार तहसीलदार के पास है। अतः तहसीलदार गै0मु0 पाल की भूमि से अतिक्रमण हटा सकता है। यह पूरी तरह विधि–सम्मत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में विधिवत सुनवाई की जाकर निर्णय दिनांक 26.08.2016 पारित किया गया है, जो उचित है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज किए जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार राजगढ द्वारा प्रकरण संख्या 22/2015 में पारित निर्णय दिनांक 26.08.2016 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ अदालत को मूल रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील जमा लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 23.12.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(योगेश कुमार डागुर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)